# उत्तराखण्ड वन विकास निगम

## टैंकरों से पानी आपूर्ति हेतु निविदा की शर्तें

### भाग–1– निविदादाता हेतु दिशा–निर्देश

1. यह निविदा "स्वारना नदी के राजावाला उपखनिज निकासी गेट पर पीने एवं छिडकाव के लिए पानी आपूर्ति कार्य हेतु है।

| क्र0 स0 | नदी का नाम | उपखनिज निकासी गेट का नाम | प्रतिदिन आवश्यक टैंकरों की संख्या | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | स्वारना नदी | राजावाला | 1–6 आवश्यकतानुसार | अनुभाग अधिकारी के निर्देशानुसार लौट क्षेत्र के अन्दर श्रमिकों को पीन के पानी की आपूर्ति तथा लौट के अन्दर व बाहर मोटर मार्गों पर जल छिडकाव कार्य करना होगा। |

2. प्रत्येक निविदादाता (व्यक्ति/कम्पनी/ फर्म/संस्था/समिति/सोसायटी) द्वारा अपने कार्यालय के Letter Head पर निर्धारत प्रारूप के अनुसार टंकित कर संलग्नकों के साथ सीलबंद लिफाफे में इस कार्यालय को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 01.12.2020 के सायं 5:00 बजे तक प्रस्तुत करेंगा।

3 निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से दिनांक 13.11.2020 से दिनांक 28.11.2020 तक किसी भी कार्यदिवस के पूर्वान्ह 10:00 से अपरान्ह 5:00 बजे तक रू0 224/–(जी0एस0टी0 सहित) नकद अथवा प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून के नाम निरूपित बैंक ड्राफ्ट संलग्न करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रारूप उत्तराखण्ड वन विकास निगम की विभागीय वेबसाइट ukfdc.uk.gov.in या www.uafdc.in से भी डाउनलोड की जा सकती है। वेबसाईट से डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में भेजी गयी निविदा के साथ निविदा फार्म शुल्क रू0 224/–(जी0एस0टी0 सहित) का बैंक ड्राफ्ट, जो देहरादून में देय तथा प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), देहरादून के पक्ष में संलग्न करना होगा। विना निविदा फार्म शुल्क के निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

4. टैक्टर वाहन एवं टैंकर दोनों निविदादाता के नाम पंजीकृत होने चाहिए। निविदा के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र पृथक से संलग्न करना होगा। निविदादाता के पास पानी आपूर्ति हेतु पर्याप्त संख्या में टैंकर उपलब्धता प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा। टैंकर की क्षमता कम से कम 5000 लीटर होनी चाहिए। उक्त अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने की स्थिति में निविदा अस्वीकार की जायेगी।

5. निविदादाता द्वारा अपने कार्यालय के Letter Head पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार निविदा टंकित कर सीलबंद लिफाफे में प्रेषण करेगा। निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर करना एवं मुहर लगाना अनिवार्य है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या भी अंकित करनी होगी । निविदादाता के व्यक्ति होने की स्थिति में मोहर लगाना अनिवार्य नही है।

6. निविदा को लिफाफे में रख कर सील बंद कर लिफाफे के ऊपर स्पष्ट एवं मोटे अक्षरों में **"स्वारना उपखनिज लौट क्षेत्र <u>में पीने एवं छिडकाव के लिए जल आपूर्ति हेतु निविदा"</u>** अंकित कर लिफाफों पर निविदादाता, व्यक्ति/ फर्म/संस्था/समिति/ सोसायटी का नाम व पता स्पष्ट रूप से उल्लिखित करते हुये पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से निम्नलिखित पते पर निर्धारित समय से पूर्व प्रेषित करना होगा :–

   पता – कार्यालय प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, वन परिसर, चन्द्रवनी रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड), पिन कोड 248001
   निर्धारित तिथि/समय– दिनांक– 01.12.2020 सायं 5:00 बजे तक।

7. विज्ञापित निविदा प्राप्त करने की तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त निविदा को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा। डाक विभाग या अन्य किसी कारण से निविदा विलम्ब से प्राप्त होने के कारणों हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

8. निविदादाता, फर्म/संस्था/समिति/सोसायटी का सुसंगत एक्ट के अर्न्तगत पंजीकृत होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन, बायलौज एवं पंजीकृत सदस्यों की सत्यापित छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। **अन्यथा की स्थिति में निविदा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता व्यक्ति होने की स्थिति में यह शर्त लागू नही होगी।**

9. निविदादाता का पैन कार्ड होना अनिवार्य है। निविदा के साथ पैन कार्ड के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न होनी चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

10. निविदादाता का जी0एस0टी0 पंजीकरण होना अनिवार्य है। निविदा के साथ जी0एस0टी0एन0 पंजीकरण के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न होनी चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

11. रू0 2,600.00 मात्र धरोहर धनराशि/निविदा प्रतिपूर्ति धनराशि निविदा प्रस्ताव के साथ एफ0डी0आर0/ एस0टी0डी0आर जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत तथा प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, वन परिसर, चन्द्रवनी रोड, देहरादून के नाम बन्धक तथा देय (Payable) हो, संलग्न करना अनिवार्य है। **अन्यथा की स्थिति में निविदा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।**

12 सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के एक सप्ताह के अन्दर नीचे रू0 8,500.00 मात्र कार्य प्रतिपूर्ति धरोहर राशि एफ0डी0आर0/ एस0टी0डी0आर जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत तथा प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, वन परिसर, चन्द्रवनी रोड, देहरादून के नाम बन्धक तथा देय (Payable) हो, एक सप्ताह के अन्दर जमा करना आवश्यक होगा, तत्पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा कार्यादेश जारी किया जायेगा। एक सप्ताह के अन्दर बन्धक राशि जमा न होने की स्थिति में निविदा प्रतिपूर्ति धनराशि को जब्त कर निविदादाता की निविदा को निरस्त करते हुए द्वितीय न्यूनतम निविदादाता के निविदा पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

13. निविदा प्रारूप के भाग–2 में संविदा–अनुबन्ध का आलेख उपलब्ध कराया गया है जिसमें आवेदित कार्य करने की सभी शर्ते एवं निर्बन्धन का स्पष्ट उल्लेख हैं। **इच्छुक निविदादाता इस निविदा प्रपत्र के सभी शर्तों का भली–भांति अध्ययन कर एवं जल आपूर्ति क्षेत्रों का निरीक्षण कर तथा शर्तों आदि के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर स्वयं के हित में निविदा भरें। इसके उपरान्त उत्तराखण्ड वन विकास निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।**

14. निविदायें क्षेत्रीय प्रबन्धक (टिहरी क्षेत्र), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून द्वारा अनुमोदित समिति के द्वारा उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के सम्मुख खोली जायेंगी।

**निविदा खोलने का स्थल एवं समय निम्नवत निर्धारित है–**

स्थान – कार्यालय प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, वन परिसर, चन्द्रवनी रोड, देहरादून, पिन कोड 248001

**दिनांक– 02.12.2020 प्रातः 11:00 बजे**

15. समिति द्वारा निविदाओं का पूर्ण परीक्षण एवं मूल्यांकन के पश्चात **न्यूनतम दर देने वाले निविदादाताओं की सूची दिनांक 03.12.2020 तक प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, वन परिसर, चन्द्रवनी रोड, देहरादून के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी। सक्षम स्तर से निविदा अनुमोदित होने के उपरान्त ही सफल निविदादाताओं को पंजीकृत डाक के माध्यम से अवगत कराया जायेगा।**

16. वर्णित समस्त शर्तें, प्रपत्र/अभिलेख/दर आदि में एकरूपता/समान होने पर स्थानीय पंजीकृत निविदादाताओं को ही वरीयता दी जायेगी।

17. जिस कार्य के निष्पादन हेतु निविदा आमंत्रित की गई है उस कार्य हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा न्यूनतम दर की गोपनीय अनुमान की सीमा निर्धारित की गई है। क्षेत्रीय प्रबन्धक (टिहरी क्षेत्र), **उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताते हुए अस्वीकार अथवा निरस्त करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतन्त्र/प्राधिकृत है** तथा दिया गया निर्णय स्वतंत्र व अन्तिम होगा।

18. सफल निविदादाता को पीने के पानी एवं छिडकाव हेतु जल आपूर्ति के लिए कार्यादेश, उत्तराखण्ड वन विकास निगम को **स्वारना** नदी से उपखनिज चुगान एवं निकासी कार्य आवंटन की सक्षम स्तर/विभाग से औपचारिक अनुमति प्राप्त होने पर ही, दिया जायेगा। **अन्यथा की स्थिति में उत्तराखण्ड वन विकास निगम की कोई देयता/बाध्यता नहीं होगी।**

# भाग–2 संविदा अनुबन्ध

यह अनुबन्ध आज दिनांक .............................. को ...................................................... जिन्हें बाद में प्रथम पक्ष कहा जायेगा, जो सम्बोधन उनके उत्तराधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों को समाहित करता है एवं प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून जिन्हें बाद में द्वितीय पक्ष कहा जायेगा जो सम्बोधन उनके उत्तराधिकारियों को समाहित करता है, के मध्य संस्थित किया गया:–

**स्वाना उपखनिज निकासी लौटों** में पीने के पानी एवं वाहन मार्गों पर छिडकाव हेतु पानी की आपूर्ति का कार्य ..................................................................को आवंटित किया गया है। प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून एवं अनुभाग अधिकारी, स्वारना के निर्देशानुसार लौट क्षेत्र अन्तर्गत श्रमिकों को पीने का पानी तथा वाहन मार्गों पर छिडकाव हेतु पानी की आपूर्ति की कार्यवाही की जानी है। निविदा आलेख में उल्लेखित संविदा अनुबन्ध के शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत हैं उनके जल आपूर्ति व्यय का प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अनुबन्ध करने हेतु दोनों पक्षों द्वारा निम्न शर्तों पर सहमति हुई:–

**प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच सम्बन्ध (Relationship between the Parties)**

1. यह कि निर्देशित स्थालों पर पीने के पानी की आपूर्ति एवं निर्देशित वाहन मार्गों पर जल छिडकाव का कार्य प्रथम पक्ष द्वारा किया जायेगा एवं उनके द्वारा आपूर्ति किये गये पानी के टैंकरों की संख्या की प्रतिदिन प्रविष्टि सम्बन्धित गेट प्रभारी द्वारा जल आपूर्ति पंजी में संधारित की जायेगी, जिसपर गेट प्रभारी के साथ–साथ ट्रैक्टर चालक/प्रथम पक्ष के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

2. इस निविदा के भाग–1 " निविदा हेतु दिशा निर्देश" के बिन्दु संख्या–1 के कॉलम संख्या–4 में अंकित टैंकरों की संख्या अनुमानित है। वास्तविक संख्या अनुभाग अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार मौके पर दिये जाने वाले निर्देशानुसार होगी किन्तु टैंकरों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या उक्त सारणी में अंकित न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या से कम व अधिक नही होगी।

3. यह कि अनुबन्ध की सामान्य अवधि 15 जून 2021 तक होगी जो जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा निर्धारित खनन सत्र के अवधि अनुसार कम व अधिक किया जा सकता है।

4. यह की प्रथम पक्ष को प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम,देहरादून एवं सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी के द्वारा लौट के अन्दर निर्देशित स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों को पीने के पानी की आपूर्ति करनी होगी तथा उनके द्वारा बताये गये वाहन मार्गों पर पानी का छिडकाव करना होगा। यह मार्ग लौट क्षेत्र के अन्दर अथवा लौट क्षेत्र के बाहर दोनो जगहों पर हो सकते हैं।

5. प्रथम पक्ष द्वारा श्रमिकों को पीने हेतु स्वच्छ जल की आपूर्ति किया जायेगा। पीने के पानी की गुणवत्ता खराब होने की स्थिति में किसी भी प्रकार की क्षति एवं कानूनी कार्यवाही हेतु प्रथम पक्ष स्वयं उत्तरदायी रहेगा। प्रथम पक्ष को पीने के पानी तथा छिड़काव हेतु पानी के लिये अलग–अलग टैंकरों का प्रयोग करना होगा।

6. जल आपूर्ति का कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को, प्रथम पक्ष की निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। द्वितीय पक्ष की कार्यवाही से असन्तुष्ट होने की स्थिति में प्रथम पक्ष 15 दिन के अन्दर लिखित रूप से क्षेत्रीय प्रबन्धक (टिहरी क्षेत्र), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून के पास अपील कर सकता है, जिनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

7. यह कि यदि उप खनिज संग्रहण की कार्य प्रणाली के अन्तर्गत कोई वैधानिक आदेश (राज्य सरकार, वन विभाग/माननीय न्यायालय) द्वारा, उप खनिज न किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है एवं अन्य किसी के विधिक आदेश के अन्तर्गत खनन कार्य बाधित होने के कारण जल आपूर्ति की आवश्यकता नही होती है तो ऐसी दशा में प्रथम पक्ष किसी भी प्रकार के मुआवजे, अनुग्रह राशि आदि पाने का अधिकारी नहीं होगा और न ही किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति पाने की मांग करेगा।

8. जल आपूर्ति एवं छिडकाव कार्य में लगे ट्रैक्टर उपखनिजों के अवैध परिवहन में संलिप्त पाये जाने पर प्रथम पक्ष के निविदा को निरस्त कर धरोहर राशि को जब्त करते हुए प्रथम पथ के नाम को काली सूची में दर्ज किया जायेगा तथा प्रथम पक्ष के विरूद्व अवैध खनन कार्य हेतु विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।

9. यह कि किसी भी प्रकार के दुर्घटना एवं दैवीय आपदा चोरी एवं आग आदि से प्रथम पक्ष के ट्रैक्टर एवं टैंकर आदि को हुई हानि के लिये द्वितीय पक्ष का किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होगा एवं प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से किसी भी प्रकार के मुआवजे, अनुग्रह राशि पाने का अधिकारी नहीं होगा।

10. यह कि कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिये केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का प्रथम पक्ष द्वारा अक्षरशः पालन करना होगा।

## प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु शर्तें Payment Terms

11. अनुभाग अधिकारी द्वारा बिल प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रथम पक्ष को आपूर्ति किये गये पानी का भुगतान मासिक रूप से चैक/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जायेगा।

12. ट्रैक्टर अथवा टैंकर के खराब होने की स्थिति में प्रथम पक्ष को अपने स्तर वैकल्पिक व्यवस्था कर नियमित रूप से जल आपूर्ति करना होगा यदि किसी दिन प्रथम पक्ष जल आपूर्ति करने में असफल रहता है तो उस दिन सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी द्वारा बाजार से पानी की व्यवस्था कर जल आपूर्ति का कार्य किया जायेगा। इस कार्य में हुए वास्तविक व्यय को प्रथम पक्ष के भुगतान अथवा बन्धक राशि से काट कर प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), देहरादून द्वारा समायोजन किया जायेगा।

## जल आपूर्ति संचालन के मानक Standards of Performance.

13. खनन सत्र के सभी दिन, आवश्यकतानुसार जल आपूर्ति का कार्य स्वास्थ्य विभाग/पेयजल विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के साथ करेंगें।

14. प्रथम पक्ष द्वारा आपूर्ति किये गये पीने के पानी दूषित/खराब पाये जाने की स्थिति में किसी भी श्रमिक अथवा कर्मचारियों/व्यक्तियों के स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति एवं कानूनी कार्यवाही हेतु प्रथम पक्ष स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

15. प्रथम पक्ष को जल आपूर्ति हेतु स्वीकृत दर में ही पानी की कीमत भी सम्मलित है। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा।

## विधि के प्राविधानों का अनुपालन Abide Legal provisions and Duties

16. प्रथम पक्ष का यह दायित्व भी होगा कि अनुबन्ध की सम्पूर्ण अवधि में जल आपूर्ति के सुचारू संचालन हेतु नियमानुसार आवश्यक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा।

17. जल आपूर्ति कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर एवं टैंकरों की सुरक्षा, रख–रखाव, संचालन एवं सर्विसिंग आदि का कार्य प्रथम पक्ष को करना होगा।यदि जल आपूर्ति कार्य के संचालन में कोई तकनीकी कमी आती है, तो उसे तुरन्त ठीक कराने का उत्तरदायित्व भी प्रथम पक्ष का होगा द्वितीय पक्ष द्वारा इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा।

## द्वितीय पक्ष द्वारा निरीक्षण Inspection

18. यह कि जल आपूर्ति कार्य का संचालन का नियन्त्रण द्वितीय पक्ष के अधिकारी/कर्मचारियों के अधीन किया जायेगा।
19. यह कि द्वितीय पक्ष के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं वन विभाग के कार्मिकों के साथ–साथ राजस्व विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जल आपूर्ति कार्य का किसी भी समय निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार है।

20. यह कि प्रथम पक्ष इस अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर होने की तिथि से 05 दिनों की अवधि में जल आपूर्ति/छिडकाव का कार्य आरम्भ करना होगा। प्रथम पक्ष द्वारा ऐसा न किये जाने पर प्रतिदिन विलम्ब के लिए प्रति स्थल रू0–500 (पांच सौ रू0) मात्र तक का अर्थदण्ड द्वितीय पक्ष, द्वारा वसूल किया जायेगा। यह अवधि 5 दिन तक मान्य होगी इसके पश्चात जमानत की धनराशि जब्त कर निविदा को निरस्त करते हुए प्रथम पक्ष के नाम को काली सूची में दर्ज करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

## श्रमिक से सम्बन्धित Labour Related

21. जल आपूर्ति कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर/टैंकर तथा जलापूर्ति कार्य में नियोजित श्रमिकों यथा चालकों आदि के किराया एवं पारिश्रमिक भुगतान एवं उनकी सुविधा का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का है। श्रम विभाग द्वारा निर्धारित सभी मानकों का पालन करना प्रथम पक्ष का दायित्व होगा।
22. कार्य के दौरान/अनुबन्ध अवधि में प्रथम पक्ष द्वारा योजित कार्मिकों के किसी भी प्रकार के क्षतिपूर्ति आदि की देयता का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा।
23. प्रथम पक्ष द्वारा नियोजित कार्मिकों के कार्यों के प्रति प्रथम पक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
24. सफल निविदादाता को उक्त कार्य में योजित किये जाने वाले कार्मिकों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों के नाम व विवरण नया फोटोग्राफ, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), देहरादून के कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। कार्य के दौरान प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), देहरादून यदि यह समझते हैं कि अमुक कर्मी का कार्य/व्यवहार वन विकास निगम के हित में नहीं है तब वह उस कार्मिक को कार्य से पृथक करने हेतु निर्देशित कर सकता हैं। प्रथम पक्ष को तदानुसार प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन), देहरादून के निर्देशानुसार कार्यवाही करने की बाध्यता होगी एवं प्रतिस्थानी की अविलम्ब व्यवस्था करनी होगी।

## करों की देयता : Payment of taxes

26. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के संचालन से सम्बन्धित विभिन्न करों की जो देयता होगी उनको पूर्ण करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।

## वाद–विवाद : Legal Jurisdiction and Arbitration

27. इस अनुबन्ध के विभिन्न प्रतिबन्धों के अनुपालन में यदि दोनों पक्षों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पीड़ित पक्ष दूसरे पक्ष को 15 दिन का नोटिस देते हुये क्षेत्रीय प्रबन्धक (टिहरी क्षेत्र), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून को आर्बीट्रेशन के लिये आवेदन करेगा। क्षेत्रीय प्रबन्धक

(टिहरी क्षेत्र), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों के लिये स्वीकार्य एवं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

28. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा इस अनुबन्ध पत्र के प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने अथवा जल आपूर्ति एवं छिडकाव कार्य का संतोषजनक संचालन न करने पर, यदि द्वितीय पक्ष द्वारा इस अनुबन्ध की अवधि के पूर्ण होने से पूर्व अनुबन्ध समाप्त करने का निर्णय लेता है तो प्रश्नगत कार्य किसी अन्य के माध्यम से सम्पादित कराने के लिये द्वितीय पक्ष स्वतन्त्र होगा एवं इस प्रकार वैकल्पिक व्यवस्था से कार्य करने में जो अतिरिक्त व्यय द्वितीय पक्ष को वहन करना पड़ेगा उसकी प्रतिपूर्ति प्रथम पक्ष द्वारा जमा कराई गई जमानत एवं अन्य देय राशियों से करने का द्वितीय पक्ष को पूर्ण अधिकार होगा ।

29. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विधिक कार्य क्षेत्र (Legal Jurisdiction) देहरादून जनपद में होगा।

उपरोक्त तिथि को उपस्थित साक्ष्यों के समक्ष यह अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित किया गया ।

| द्वितीय पक्ष | प्रथम पक्ष |
|---|---|
| (                    ) | (                    ) |
| साक्षी | साक्षी |
| 1- | 1- |
| (                    ) | (                    ) |
| 2- | 2- |
| (                    ) | (                    ) |

# निविदा प्रपत्र

सेवा में,

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
वन परिसर, चन्द्रवनी रोड़, देरादून पिनकोड–248001

कार्य का विवरण– **स्वारना नदी के राजावाला उपखनिज गेट एवं नदीतम में** कार्यरत श्रमिकों, वाहन चालकों तथा वन विकास निगम के कर्मचारियों को पीने के पानी की आपूर्ति तथा लौट क्षेत्र के अन्दर व बाहर वाहन मार्गों पर पानी का छिडकाव कार्य हेतु **निविदा।**

महोदय,

**स्वारना नदी के राजावाला उपखनिज निकासी गेट एवं नदीतल में** कार्यरत श्रमिकों, वाहन चालकों तथा वन विकास निगम के कर्मचारियों को पीने के पानी की आपूर्ति तथा अनुभाग अधिकारी,......................तथा गेट प्रभारी .................. द्वारा लौट क्षेत्र के अन्दर व बाहर निर्देशित वाहन मार्गों पर पानी का छिडकाव कार्य हेतु निविदा निम्नवत् प्रस्तुत है–

| प्रकार | प्रति टैंकर जिसकी जल धारण क्षमता 5000 ली0 से कम न हो, हेतु प्रति टैंकर जल आपूर्ति एवं छिडकाव कार्य की दर (कर सहित) | |
|---|---|---|
| | अंको में | शब्दों में |
| 1 | 4 | 5 |
| ट्रैक्टर द्वारा जल आपूर्ति एवं छिडकाव कार्य करना | | |

मेरे/हमारे द्वारा कार्यस्थल का निरीक्षण कर लिया गया है तथा निविदा शर्तें भली–भॉति पढ़ ली गई हैं, समझ ली गई हैं, जिनको मान्य करने हेतु मैं/हम बाध्य हैं, सभी शर्तों एवं अनुबन्धों/प्रक्रियाओं का पालन मेरे/हमारे द्वारा किया जायेगा। निविदा शर्तों में उल्लेखित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न है।

निविदादाता/ओं के हस्ताक्षर
(नाम, पता, मोबाई नम्बर, ई–मेल आई0डी0 सहित)